बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0स0 :–2/अ0प्र0–1–80/2023 67 /पटना, दिनांक :– 9-1-24

पूर्णियाँ जिला के वायसी प्रखंड अन्तर्गत NH-31 फटकी चौक से चाहट पथ के Ch-3+700Km पर निर्माणाधीन पुल के Box Culvert (3x6mx4m) के Deck slab ध्वस्त हो जाने के संबंध में मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री रामू प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी से विभागीय पत्रांक–1235 अनु0 दिनांक–20.05.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री प्रसाद के पत्रांक–806 अनु0 दिनांक–23.05.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में दोष संवेदक के उपर लगाया गया। उक्त क्रम में योजना के संदर्भ में अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पूर्णियाँ के पत्रांक–592 दिनांक–26.05.2023 द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ तथा डॉ० संजय कुमार, सदस्य, S.T.A, N.I.T., Patna का भी दिनांक 26.05.2023 को किये गये स्थल निरीक्षण का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

2. संदर्भित मामले में प्राप्त उक्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद को विभागीय अधिसूचना सं0–1451 दिनांक–13.06.2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही आरोप पत्र गठित कर संकल्प ज्ञापांक–1683 दिनांक–04.08.2023 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना) के पत्रांक–6273 अनु0 दिनांक–07.11.2023 द्वारा समर्पित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर अभियंता प्रमुख का मंतव्य प्राप्त किया गया। प्राप्त मंतव्य के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए सक्षम प्राधिकार के आदेश के आलोक में श्री रामू प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी को विभागीय अधिसूचना संख्या–2570–सह–पठित ज्ञापांक–2571 दिनांक 01.12.2023 द्वारा प्रश्नगत् मामले में निलंबन मुक्त करते हुए आरोप मुक्त किया गया है। इस प्रकार श्री प्रसाद दिनांक 13.06.2023 से 30.11.2023 तक निलंबित रहे।

5. श्री प्रसाद के पत्रांक शून्य दिनांक 04.12.2023 द्वारा निलंबन अवधि के विनियमन हेतु आवेदन विभाग को समर्पित किया गया। तद्‌लोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि जिन आरोपों पर श्री प्रसाद को दिनांक 13.06.2023 से 30.11.2023 तक निलंबित रखते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, उक्त आरोपों के संबंध में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री प्रसाद को आरोप मुक्त किया गया है।

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11(3) एवं (4) के तहत में श्री रामू प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी सम्प्रति कार्यपालक

अभियंता (पदस्थापन की प्रतीक्षा में), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निलंबन अवधि को निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है :–

(i) निलंबन अवधि दिनांक 13.06.2023 से 30.11.2023 तक अनुमान्य पूरे वेतन एवं अन्य भत्ते का भुगतान देय होगा, परन्तु ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जाएगा।

(ii) आलोच्य निलंबन अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

9.1.24

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–80/2023 67 /पटना, दिनांक :– 9.1.24

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.1.24
अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–80/2023 67 /पटना, दिनांक :– 9.1.24

प्रतिलिपि:– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रामू प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता (पदस्थापन की प्रतीक्षा में), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.1.24
अवर सचिव